कार्यालय रा.नि.मं. आरंग, तहसील–आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

:: आम सूचना ::

जारी दिनांक 01–12–2025

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.) द्वारा आवेदित ग्राम आरंग, प.ह.नं. 29, राजस्व निरीक्षक मण्डल–आरंग स्थित भूमि खसरा नम्बर 108/1, 680/1, 701 रकबा क्रमशः 7.264, 9.845, 3.165 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन न्यायालय तहसीलदार आरंग के आदेश दिनांक 01–12–2025 के परिपालन में दिनांक 05–12–2025 को समय अपरांह 11.00 बजे गठित दल द्वारा किया जाना नियत किया गया है।

अतः उक्त सीमांकन से जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति हो, वे उक्त सीमांकन हेतु नियत तिथि में हल्का पटवारी हल्का नम्बर 29 के आरंग स्थित पटवारी कार्यालय में अपने दस्तावेजों सहित स्वयं अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त किसी दावा/आपत्ति पर मेरे द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

राजस्व निरीक्षक

रा.नि.मं.–आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)